उल्लंघन | 'खुशबू में छिपा जहर?'

बालाघाट में नकली सुगंधित चावल का बड़ा खेल

नवभारत, बालाघाट। जिले में नकली सुगंधित चावल के उत्पादन का बड़ा नेटवर्क सक्रिय होने के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कुछ राइस मिलर्स द्वारा घातक रसायनों की मदद से कृत्रिम सुगंध तैयार कर चावल को 'सुगंधित' बनाकर देश-प्रदेश ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों तक सप्लाई किया जा रहा है। इस पूरे कारोबार में राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक तंत्र की कथित मिलीभगत की भी चर्चा है।

जानकारी के अनुसार, नकली सुगंध तैयार करने के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे रसायन का उपयोग किया जा रहा है। यही रसायन उस समय चर्चा में आया था जब छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप के सेवन से 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी।

मृत बच्चों की बिसरा रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई थी कि कफ सिरप में डाई-एथीलीन ग्लाइकोल (ष्ठश्वत्र) और अमानक प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले तत्व पाए गए थे। चिकित्सा विशेषज्ञों के

अनुसार यह रसायन अधिक मात्रा में शरीर में पहुंचने पर किडनी फेलियर और मौत तक का कारण बन सकता है।

इस मामले में परासिया के एसडीओपी जितेन्द्र जाट ने कहा था कि बच्चों की बिसरा रिपोर्ट में जहरीले तत्वों की पुष्टि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। चिकित्सकीय समिति की विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बालाघाट में सुगंधित चावल का संदिग्ध कारोबार

इसी प्रकार बालाघाट जिले में भी आरोप है कि कुछ राइस मिलर्स दिल्ली की एक कंपनी के नाम से मिलने वाले 'बासमती राइस स्पेशल' जैसे रसायनों का इस्तेमाल कर चावल में कृत्रिम सुगंध मिलाकर बड़े पैमाने पर नकली सुगंधित चावल तैयार कर रहे हैं।

बताया जाता है कि इस रसायन को फर्जी नामों से कुरियर के जरिए मंगाया जाता है और फिर विभिन्न ब्रांड नामों से चावल तैयार कर बाजार में बेचा जाता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में 'कालीमूंछ' सहित कई सुगंधित किस्मों के नाम से चावल बाजार में बड़ी मात्रा में बिक रहा है, जबकि कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जिले में सुगंधित धान की खेती सीमित क्षेत्र में ही होती है।

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में भी यह सामने आया है कि जिले में सुगंधित धान का उत्पादन इतना नहीं है जितना बाजार में सुगंधित चावल उपलब्ध बताया जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इस तरह का कारोबार वर्षों से चल रहा है तो आखिर जिम्मेदार विभाग अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए।

क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर नकली सुगंधित चावल के इस कारोबार पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा—यह देखने वाली बात होगी।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार किसी भी प्राकृतिक उत्पाद के मूल स्वाद और सुगंध को कृत्रिम रसायनों से बदलना प्रतिबंधित माना जाता है। चावल भी प्राकृतिक उत्पाद की श्रेणी में आता है, ऐसे में इसमें कृत्रिम सुगंध मिलाना गंभीर सवाल खड़े करता है।

ग्राम खैरगांव में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ

नवभारत, बालाघाट। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हट्टा के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के द्वारा आज ग्राम खैरगांव में अपने उद्देश्यों व विभिन्न गतिविधियों को लेकर शिविर का आरंभ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में श्रीमती रंजना वैद्य (जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत बालाघाट), श्री विकास हजारी (वरिष्ठ समाज सेवी हट्टा), श्री प्रह्लाद वासनिक (सरपंच ग्राम खैरगाँव), श्री उमेश सोनकर (सरपंच हट्टा), श्री जयकिशन हरदे (उपसरपंच खैरगाँव) उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रेखा वानखेड़े (प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हट्टा) ने किया। इस उद्घाटन समारोह में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री प्रेमलाल उके, श्री धुरन प्रसाद सौलखे व महेश्वरी घोरमारे की भी उपस्थिति रही।

यह शिविर मेरे भारत के लिए युवा और डिजिटल साक्षरता कब लिए युवा थीम पर आयोजित की गई है। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ, उसके बाद अतिथि स्वागत व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया तथा राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत की प्रस्तुति दी गई। ततपश्चात अतिथियों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न उद्देश्य जैसे जनसेवा, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण सम्बंधित व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का सुचारू संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हट्टा इकाई के कार्यक्रम अधिकारी श्री बी. आर. महन्त ने किया।

घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते मिले 4 प्रतिष्ठान, 4 सिलेंडर जब्त

बालाघाट। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर नगरीय क्षेत्र बालाघाट में राजस्व तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए शहर के चार प्रतिष्ठानों से कुल 4 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए बालाजी चाइनीज एंड डोसा सेंटर (चौपाटी बालाघाट) के संचालक श्री नंदराम अहिरवार, संजू चाइनीज चौपाटी बालाघाट के संचालक श्री पंकज रोकड़े, इंदौर स्वीट्स कारखाना की संचालक सुश्री कासिस (पिता आशीष साहू) तथा बजरंग भोजनालय बालाघाट के संचालक श्री परमानंद शर्मा के यहां से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जब्त किए गए सभी चार गैस सिलेंडरों को एचपी गैस एजेंसी बालाघाट की सुरक्षित अभिरक्षा में जमा करा दिया गया है। विभाग के अनुसार यह कार्रवाई पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उल्लंघन के चलते की गई है।

घायल तेंदुए का सफल रेस्क्यू, उपचार के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व भेजा गया

नवभारत, बालाघाट। वन परिक्षेत्र बालाघाट सामान्य अंतर्गत बीट अगरवाड़ा के राजस्व क्षेत्र में घायल अवस्था में मिले एक तेंदुए का वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 13 मार्च 2026 को सुबह लगभग 8 बजे सुरक्षा श्रमिकों द्वारा बीट अगरवाड़ा क्षेत्र में एक तेंदुए को घायल अवस्था में देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन संरक्षक वनवृत्त बालाघाट श्री गौरव चौधरी एवं वन मंडल अधिकारी दक्षिण सामान्य बालाघाट श्री निथ्यानंतम एल के मार्गदर्शन में उप वन मंडल अधिकारी बालाघाट सामान्य श्रीमती विनिता फूलबेल तथा वनक्षेत्रपाल बालाघाट सामान्य श्री हिमांशु राय के नेतृत्व में वन विभाग की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची।

मौके पर पहुंचकर टीम ने स्थिति का आकलन किया। घायल तेंदुआ घनी झाड़ियों के बीच बैठा हुआ था। वन्यजीव और

स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम ने तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी कर दी, ताकि तेंदुए को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति के बाद स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर से पहुंचे वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने तेंदुए को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइज़र गन का उपयोग किया। लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात्रि 8:20 बजे करीब 1 से 2 वर्ष आयु की मादा तेंदुए को सुरक्षित ट्रैंकुलाइज कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया।

रेस्क्यू के बाद तेंदुए का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर के प्रोफेसर डॉ. सोमेश सिंह की टीम तथा जिला पशु चिकित्सालय बालाघाट के पशु चिकित्सक डॉ. बादल पटले के सहयोग से किया गया। बेहतर उपचार एवं चिकित्सीय देखरेख के लिए तेंदुए को कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला भेजा गया है।

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि भविष्य में कहीं भी वन्यजीव दिखाई दें तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके।

मकान मालिक से 50 लाख रुपये की जबरन वसूली का प्रयास

मुख्य आरोपी राजा कुकरेजा के विरुद्ध पूर्व से कई गंभीर अपराध दर्ज, 10 से अधिक शिकायतें भी प्राप्त

दो आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज

नवभारत, बालाघाट। 14 मार्च को थाना कोतवाली बालाघाट में वार्ड नं. 21 गोंदिया रोड निवासी रमन गौतम द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि उनके मकान स्थित गौतम कॉम्प्लेक्स में संचालित दो दुकानों के किरायेदार राजकुमार उर्फ राजा कुकरेजा (अंजली ट्रेवल्स) एवं धीरज जोतवानी (मॉम्स किचन) द्वारा एक राय होकर उनसे मकान एवं दुकानों को अपने नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया जा रहा है।

शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों द्वारा रजिस्ट्री नहीं करने की स्थिति में 50 लाख रुपये की अवैध मांग कर जबरन वसूली का प्रयास किया गया तथा रुपये नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के परीक्षण पर प्रथम दृष्टया अपराध पाया जाने से थाना कोतवाली बालाघाट में आरोपियों के विरुद्ध धारा 308(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (क्ष्हस्) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी राजकुमार उर्फ राजा कुकरेजा बालाघाट में अंजली ट्रेवल्स के नाम से ट्रेवल एजेंसी संचालित करता है तथा लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर कोरे स्टाम्प और चेक पर हस्ताक्षर करवा लेने, बाद में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन-मकान हड़पने, ब्लैकमेल करने तथा विवाद खड़ा करने जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में पूर्व से धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, दस्तावेजों में कूट रचना, मारपीट एवं बलात्कार जैसे गंभीर प्रकरण सहित कुल 05 अपराध पंजीबद्ध हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान उसके विरुद्ध 12 से अधिक शिकायतें विभिन्न पुलिस कार्यालयों में प्राप्त हुई हैं, जिनमें भूमि कब्जा, सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, चेक का दुरुपयोग, झूठे दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हड़पने जैसे आरोप शामिल हैं।

द बालाघाट पब्लिक स्कूल में पैरेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन

नवभारत, बालाघाट। द बालाघाट पब्लिक स्कूल , आईसीएसई में विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अभिभावकों को प्रभावी पालन-पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 'पैरेंटिंग वर्कशॉप(अभिभावक कार्यशाला)' का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राथमिक एवं पूर्व-प्राथमिक वर्गों के बड़ी संख्या में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का आयोजन प्रात: 9:00 बजे से 12:00 बजे तक विद्यालय परिसर में किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गोपाल सोनी (एसडीएम, बालाघाट) रहे, जिन्होंने ICSE विद्यालय के द्वारा पैरेंटिंग वर्कशॉप के आयोजन को अच्छी पहल बताते हुए पैरेंट्स से अनेक पहलुओं पर चर्चा की ।विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री दिलीप जैन (डायरेक्टर , अबेकस टैलेंट LLP - मास्टर फ्रैंचाइज़ यूसीमास Region एवं छत्तीसगढ़ तथा प्रेसिडेंट , स्वामी विवेकानंद संस्था गोंदिया तथा श्री परमजीत जाट (National Business Head, Swastik Publication) उपस्थित रहे।जिन्होंने अभिभावकों को पालकों को अनेक महत्वपूर्ण

पैरेंटिंग की जानकारी एवं टिप्स प्रदान की । कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक इंजीनियर आशुतोष शर्मा ने अभिभावकों को बच्चों के मानसिक, भावनात्मक एवं शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करने, पढ़ाई के लिए प्रेरणादायक वातावरण बनाने तथा डिजिटल माध्यमों के संतुलित उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर डॉ. युवराज राहंगडाले (प्राचार्य, सान्दीपनि विद्यालय, बालाघाट) ने विशेष व्याख्यान देते हुए कहा कि वर्तमान समय में अभिभावकों की भूमिका बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि घर और विद्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो तो बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है।कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती चित्ररेखा राहंगडाले ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएँ अभिभावकों और विद्यालय के बीच सहयोग को मजबूत बनाती हैं तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रधानपाठक विनम्र मेश्राम ने भी अपने विचार रखते हुए अभिभावकों से बच्चों को सकारात्मक वातावरण, प्रोत्साहन और उचित मार्गदर्शन देने की अपील की।कार्यक्रम का सफल संचालन रुचि श्रीवास्तव एवं आभास आमाडारे द्वारा किया गया।

फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

नवभारत, बालाघाट। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ एवं बालाघाट जिला फुटबाल संघ के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीयअंडर 15 बायस स्टेट क्लब चैंपियनशिप के तत्वाधान में अमर शहीद श्रद्धांजलि ट्रॉफी स्वर्गीय आशीष शर्मा की स्मृति मुलाना स्टेडियम में 16 मार्च से 30 मार्च फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें मदन महाराज भोपाल लायंस क्लब जबलपुर लायल वेव्स रायसेन नर्मदा वैली मंडला सतना सोल्जर सतना वॉइस फुटबॉल क्लब उकवा डायमंड फुटबॉल अकैडमी बालाघाट की टीम भाग लेगी। जिला फुटबाल संघ के अध्यक्ष गौरव सिंह पार धी जी के मार्गदर्शन में आयोजन समिति द्वारा एक बैठक ली गई जिसकी अध्यक्षता आयोजन समिति के अध्यक्ष रमेश रंगलानी जी ने की इस बैठक में स्वरसम्मति से बच्चों को रुकवाने से लेकर खेल के मैदान तक की व्यवस्थाओं के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय पास किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष रमेश रंगलानी जी कोषाध्यक्ष अभय सेठिया जी वरिष्ठ सदस्य सुभाष गुप्ता जी गोपाल आडवाणी जी संदीप नेमा जी आडवाणी सुनील यादव जी गणेश अग्रवाल जी विशाल मंगलानी, डॉ अक्षय कटरे दिलीप राजपूत जी पूनम अखिलेश खोपरा गड़े जी समाजसेवी ड्रोन डोंगरेजी दीपक जैन आदि समस्त सदस्य गण उपस्थित रहे।

एसडीएम ने बैहर-सालेटेकरी सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

लापरवाही पर इंजीनियर व ठेकेदार को लगाई फटकार

दमोह में 750 मीटर सीसी रोड का कार्य लंबे समय से था लंबित

25 दिनों में कार्य पूरा करने के निर्देश, नहीं होने पर होगी कार्रवाई

नवभारत, बालाघाट। 14 मार्च 2026 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर श्री अर्पित गुप्ता ने बैहर अनुभाग अंतर्गत राजमार्ग एसएच-48 (बैहर से सालेटेकरी) पर चल रहे सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री गुप्ता ने ग्राम दमोह में लगभग

750 मीटर सीसी रोड निर्माण कार्य का अवलोकन किया, जो लंबे समय से प्रारंभ नहीं हो पाया था। पूर्व में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्य शुरू नहीं किए जाने पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। मौके पर उपस्थित मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के जिला प्रबंधक श्री मुकेश बेले एवं संबंधित ठेकेदार को एसडीएम ने कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने में लगभग 25 दिन का समय लगने की बात कही गई। इस पर एसडीएम श्री गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य को बताई गई 25 दिवस की समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन) एवं प्रभारी तहसीलदार बिरसा श्री आदित्य नारायण तिवारी भी उपस्थित रहे। एसडीएम ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

सोमवार को होगा सूची का प्रकाशन

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा चुनाव-2026 के संबंध में अधिवक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न सूचनाएँ, अधिसूचनाएँ तथा दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोविजनल मतदाता सूची, आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अंतिम मतदाता सूची, नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की जानकारी तथा अन्य आवश्यक चुनाव संबंधी निर्देश परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इस दौरान परिषद ने सभी अधिवक्ता संघों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने अधिवक्ताओं को उक्त वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध जानकारी से अवगत कराएं।

कमेटी का हुआ गठन

बता दे कि राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 16 मार्च सोमवार को किया जाएगा। मालूम हो कि चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जिसके रिटर्निंग ऑफिसर न्यायमूर्ति सुशील कुमार पॉलो, पूर्व न्यायाधीश हैं। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया उच्च न्यायालय तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। साथ ही, चुनाव के दौरान निर्धारित मॉडल आचार संहिता का पालन सभी प्रत्याशियों एवं मतदाताओं के लिए अनिवार्य होगा।

मैकेनिक ने विश्वासघात कर हड़पी कार

अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक मैकेनिक ने विश्वासघात करते हुए कार सुधारने के नाम पर न केवल ग्राहक से पैसे ऐंठे, बल्कि उसकी कार को ही खुर्द-बुर्द कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी मैकेनिक के खिलाफ अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार भेड़ाघाट के ग्राम आमाहिनौता निवासी तीरथ सिंह पटेल (36) ने अधारताल निवासी प्रीति वर्मा से एक मारुति सुजुकी कार क्रमांक एमपी 20 सीबी 5042 खरीदी थी। कार के इंजन में इजेक्टर की खराबी आने के कारण, तीरथ सिंह ने कार आठ अगस्त 2025 को अंधुआ बायपास स्थित नीलेश साहू के गैरेज में सुधारने के लिए दी थी।

मैकेनिक नीलेश ने भरोसा दिलाया था कि कार एक महीने में तैयार हो जाएगी। इसके कुछ दिन बाद उसने फोन कर मरम्मत का खर्च 25 हजार रुपये बताया, जिस पर तीरथ सिंह ने उसे 20 हजार रुपये नकद दे दिए।

कार्यालय ग्राम पंचायत पेंडरई जनपद पंचायत बालाघाट विकासखण्ड बालाघाट जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/क्यू/ग्राम पं./2026 — दिनांक 09/3/2026

निविदा आमंत्रण सूचना
(वर्ष 2026-2027 के लिये)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पेंडरई जनपद पंचायत बालाघाट में 15 वां वित्त, मनरेगा, विधायक निधि, सांसद निधि, गौण खनिज, पंचायत निधि, जनपद निधि, जिला पंचायत निधि, स्वच्छ भारत मिशन, स्टाम्प शुल्क वसूली आदि अन्य मदों से विभिन्न विकास कार्यो के लिए प्रयुक्त निमार्ण कार्य सामग्री रेत, सीमेंट, गिट्टी, गिट्स, ईट, लोहा, पुल-पुलिया, पाईप, फोटोकापी, स्टेशनरी, कम्प्यूटर सामग्री, इलेक्ट्रीशयन उपकरण, पंखे, डस्टबिन, सीलिंग फेन, फेविंग तार, भवन निर्माण सामग्री, ओपन जिम, स्वच्छता सामग्री आदि क्रम हेतु तथा इससे संबंधित उपकरण ट्रेक्टर, मिक्चर मशीन, सेंटिंग, मिट्टी, मुरम, गटटू, सीमेंट कुर्सी, टेबल कुर्सी, आलमारी, टीन चादर, कुलर आदि अन्य सामग्री के लिये निविदा प्रकाशन तिथि से दिनांक 20/03/2026 तक सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदा कर्ता की फर्म रस्टिर्ड होना आवश्यक है। निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय ग्राम पंचायत का होगा। निविदा कार्यालयीन समय में ग्राम पंचायत पेंडरई में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते है।

सरपंच
श्रीमती ललिता नगपुरे

सचिव
दिलीप महोबे

कार्यालय जनपद पंचायत, परसवाड़ा जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/3056/सामुहिक विवाह/2026 — **निविदा-सूचना** — परसवाड़ा, दिनांक 12/03/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद पंचायत परसवाड़ा द्वारा आयोजित होने वाले सामुहिक विवाह समारोह हेतु सामग्री क्रय करने/सेवॉए प्रदाय करने हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 13/03/2026 शाम 5:30 बजे से 02/04/2026 को शाम 5:30 बजे तक समस्त जानकारी सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाएं दिनांक 03,/04 / 2026 को अपराहन 1:00 बजे तकनीकी निविदा खोली जायेगी एवं 04,/04/2026 को समय दोपः 1:00 बजे वित्तीय ऑफर खोला जायेगा। कार्य एवं सामग्री का विवरण तालिका में एवं ऑनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार होगा। कार्य का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	टेंण्डर आईटी	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदाकार की श्रेणी	कार्य अवधि
1.	Tender ID	भोजन थाली (पूड़ी, चावल, दाल, आलू-भटे की सब्जी, सलाद, मही की कड़ी एवं जलेबी) भरपेट भोजन	1,50,000.00	20,000.00	2,000.00	निर्माता/अधिकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता	01 वर्ष
2.	Tender ID	डेकोरशन-साउण्ड व्यवस्था	2.50,000.00	20,000.00	2,000.00	निर्माता/अधिकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता	01 वर्ष

नोट- निविदा से संबंधित समस्त जानकारी एवं निविदा की शर्ते ऑनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in देखी जा सकती है एवं निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन केवल उक्त वेबसाईट पर देखा जा सकता है, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत परसवाड़ा